भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2378

21 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के अंतर्गत कवरेज

2378. श्री रितेश पाण्डेय:

श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री तीरथ सिंह रावत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजसहायता प्राप्त भोजन के लिए पात्र/जरूरतमंद व्यक्तियों/परिवारों की संख्या का कोई आकलन किया है लेकिन वे वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन लोगों को राजसहायता प्राप्त खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल परिवारों/व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ड.) क्या सरकार वर्ष 2011 और 2021 के बीच देश में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत 75% ग्रामीण और 50% तक शहरी जनसंख्या को अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 81.35 करोड़ होता है। अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को इसका लाभ प्राप्त हो। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों के अंतर्गत की जाती है- अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले निर्धनतम परिवार जो केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक गरीब हैं और शेष परिवारों को प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के रूप में, जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर पहचाना जाना है। इस प्रकार, प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान के मानदंड अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं, जो उनकी स्थानीय आवश्यकता पर निर्भर करती है।

....2/-

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी किया है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करें। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस का अद्यतीयकरण कर रहे हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटा दिए जाएं और सही लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, इस अधिनियम के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्तमान समय में कवर किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ): अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना, जनगणना के अनुसार, जिसके संगत आंकडे प्रकाशित किए गए हैं, जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी।

*****

अनुबंध

लोक सभा में "एनएफएसए के तहत कवरेज" के संबंध में दिनांक 21.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2378 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यों के नाम	एनएफएसए में शामिल लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 15.12.2022 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.40
3	असम	251.17
4	बिहार	871.16
5	छत्तीसगढ	200.77
6	दिल्ली	72.78
7	गोवा	5.32
8	गुजरात	344.15
9	हरियाणा	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64
11	झारखंड	264.12
12	कर्नाटक	401.93
13	केरल	154.80
14	मध्य प्रदेश	511.32
15	महाराष्ट्र	700.17
16	मणिपुर	20.08
17	मेघालय	21.46
18	मिजोरम	6.68
19	नागालैंड	14.05
20	ओडिशा	325.03
21	पंजाब	141.51
22	राजस्थान	440.01
23	सिक्किम	3.79
24	तमिलनाडु	364.69
25	तेलंगाना	191.62
26	त्रिपुरा	24.32
27	उत्तर प्रदेश	1490.71
28	उत्तराखंड	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84
30	अंडमान और निकोबार	0.61
31	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	2.73
32	लक्षद्वीप	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.76
34	पुदुच्चेरी (डीबीटी)	6.34
35	जम्मू और कश्मीर	72.41
36	लद्दाख	1.44
कुल		8003.69

******